

20-06-2024

माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश इंदौर के विविध आदेश क्रमांक 29/सा.वि./01 इंदौर दिनांक 12/04/2024 के द्वारा प्रकरण अन्तरण पर प्राप्त।

परिवादी द्वारा श्री जितेन्द्र झाला अधिवक्ता उपस्थित।

प्रकरण पंजीयन पर तर्क/न्यायशुल्क प्रस्तुति हेतु नियत है।

परिवादी अधिवक्ता द्वारा न्यायशुल्क प्रस्तुति हेतु समय दिये जाने का निवेदन किया गया।

प्रकरण के अवलोकन से दर्शित है कि परिवादी द्वारा यह प्रकरण दिनांक 07.02.2020 को प्रस्तुत किया था, परंतु लगभग 4 वर्ष पश्चात भी आज दिनांक तक न्यायशुल्क प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः न्यायहित में एक **अंतिम अवसर** इस निर्देश के साथ प्रदान किया जाता है कि आगामी दिनांक पर आवश्यक रूप से न्यायशुल्क प्रस्तुत करें, अन्यथा न्यायशुल्क के अभाव में परिवाद निरस्त कर दिया जायेगा।

प्रकरण न्यायशुल्क प्रस्तुति हेतु दिनांक 20/08/24 को पेश हो।

(राहुल डोंगरे)

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,
जिला इंदौर (म.प्र.)

20.08.2024

परिवादी द्वारा श्री जितेन्द्र झाला अधिवक्ता उपस्थित।

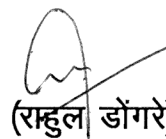
प्रकरण न्यायशुल्क प्रस्तुति हेतु नियत है।

परिवादी के अधिवक्ता द्वारा न्यायशुल्क प्रस्तुति हेतु समय प्रदान किए जाने का निवेदन किया गया।

प्रकरण के अवलोकन से दर्शित है कि परिवादी द्वारा यह प्रकरण दिनांक 07.02.2020 को प्रस्तुत किया गया था, परंतु 4.5 वर्ष से अधिक समय होने के बाद भी आज दिनांक तक न्यायशुल्क प्रस्तुत नहीं किया गया है। पूर्व नियत दिनांक 20.06.2024 को परिवादी को न्यायशुल्क प्रस्तुति हेतु अंतिम अवसर प्रदान किया गया था, उसके पश्चात भी परिवादी द्वारा न्यायशुल्क प्रस्तुत नहीं की गई है। अतः ऐसा प्रतीत होता है कि परिवादी प्रकरण को चलाने में रुचि नहीं ले

रहा है तथा न्यायालय का महत्वपूर्ण समय अपव्यय कर रहा है। अतः प्रकरण न्यायशुल्क प्रस्तुत न करने के कारण **खारिज** किया जाता है।

प्रकरण का परिणाम सी.आई.एस. पंजी में दर्ज किया जाकर प्रकरण अभिलेखागार भेजा जावे।



(राहुल डोंगरे)

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,
जिला इंदौर (म.प्र.)